परिशिष्ट "एक" (1)
[26/3/2021]
पेज ① से ③

प्रश्न सं. [क्र. 6055]

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 17 जून, 2004

क्रमांक एफ 7/20/छै:/03/499

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,

2. समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश,

विषय :- जिला सरकार की व्यवस्था को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप पूर्व में जिला योजना समितियों को धार्मिक न्यास एंव धर्मस्व विभाग द्वारा सौंपे गए अधिकारों का प्रत्यायोजन।

विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-1-98-छै:, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जिला योजना समितियों को प्रत्यायोजित किया गया था। जिला सरकार की व्यवस्था समाप्त होने के फलस्वरूप शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु रूपये एक लाख से अधिक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति संभागीय आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त होने पर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन उपरात जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(डॉ अशोक कुमार भार्गव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

मध्य–प्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व. विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्र एफ–3–8 / 2011 / छ:

भोपाल, दिनांक – 11 अक्टूबर 2011

प्रति,

समस्त कलेक्टवर

(मध्यप्रदेश)

विषय :– शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव बाबत् ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कलेक्टर्स से शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु बजट आवंटन के प्रस्तायव अपूर्ण प्राप्त होते हैं। कृपया भविष्या में भेजे जाने वाले प्रस्तावों में संलग्न पत्रक अनुसार जानकारी का समावेश आवश्यक रूप से करे। विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर अपनी संपुष्टि करते हुए प्रस्ताव भेजें :–

1– मंदिर शासन संधारित है और उसका व्यवस्थापक कलेक्टर है।

2– प्रस्तावित जीर्णोद्धार कार्य का औचित्य दर्शाया जाए।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जीर्णोद्धार कार्य का जो प्राक्कलन बनाया है, वह प्राक्कलन संबंधित निर्माण विभाग के मेनुअल के अंतर्गत सक्षम स्तर के तकनीकि अधिकारी के द्वारा अनुमोदित है।

4– प्रकरण संभागायुक्त के माध्यम से भेजा जाए।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राक्कलन कार्य के मुकाबले में युक्तियुक्त है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(आरकेस्वाई)

प्रमुख सचिव

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

पृ.क्र– एफ–3–8 / 2011 / छ:

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

प्रतिलिपिः–

समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कृपया प्रकरण भेजने के पूर्व उपरोक्त बिंदुओं पर अपनी संतुष्टि करने के बाद ही स्प्ष्ट अनुशंसा सहित प्रेषित करें।

प्रमुख सचिव

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

प्रस्तावित जीर्णोद्धार हेतु मंदिर की जानकारी का विस्तृत प्रतिवेदन

1— मंदिर का नाम .....

2— ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

3— मंदिर कितना पुराना होकर शासन .....
नियंत्रित (व्यवस्थापक, कलेक्टर) है .....
या नहीं। यदि है तो सूची के किस .....
क्रमांक पर दर्ज है ।

4— मंदिर का पूर्व इतिहास/प्रसिद्धि का कारण .....

5— मंदिर का वर्तमान छायाचित्र .....

6— मंदिर का वर्तमान नक्शा .....
(कमरों के माप,क्षेत्रफल आदि बतावें)

7— खसरा एवं अक्स, की प्रति .....

8— मंदिर का पूर्व में जीर्णोद्धार कब हुआ .....

जीर्णोद्धार का वर्ष	शासन द्वारा स्वीकृत राशि	जन सहयोग राशि	मंदिर की आय/कोष	अन्य
1	2	3	4	5

9— पूर्व में स्वीकृत राशि का अपयोगिता प्रमाण पत्र कब भेजा गया .....

10— मंदिर की कृषि भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल) .....

11— वर्तमान में मंदिर कोष में जमा राशि .....

12— प्रस्तावित जीर्णोद्धार में क्या कार्य करवाना है .....

13— जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन एवं तकनीकि स्वीकृति .....

14— तकनीकि स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन अनुमोदित है या नहीं .....

15— प्रस्तावित कार्य का औचित्य .....

16— अन्य विवरण .....